

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड़, रायपूर (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

द्रभाष: 0771 - 2552233

ई - मेलः apccf-lm.cg@gov.in

पालन प्रतिवेदन

क्र0/भू-प्रबंध/विद्युत/ 479-137/२/५० प्रति.

रायपुर, दिनाक 27/08/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

भारत सरकार — पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय – वेस्ट सेन्ट्रल रीजन ईस्टर्न विंग — भू तल, न्यू सेक्रेटेरियेट भवन VCA के सामने, सिविल लाईन नागपुर - 440001

विषय:

- Diversion of 37.919 ha. of Forest Land in favour of Executive Engineer, CSPTCL, Chhattisgarh for laying and construction of 132 KV DCSS Bhanupratappur-Pankhanjur transmission line in Kanker District in the State of Chhattisgarh regarding.
- पंजीयन क्रमांक/FP/CG/TRANS/11741/2015

बिन्द क्रमांक

संदर्भः

75

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक FC-II/CH-38/2016-NGP/ 521 दिनांक 13.06.2016
- मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र क्रमांक/ मा. चि / 2206 दिनांक 23.08.2016 2.

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र — 1 द्वारा भारत सरकार (MoEF&CC), क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा 11 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

संदर्भित पत्र – 2 के माध्यम से उक्त जानकारी मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त द्वारा बिन्दुवार प्रेषित की गई है, जो निम्नानुसार है:-

97.	विष्यु प्रभाप	rppink ribik
1	Hard copy of Part-I has not been submitted along	आवेदक संस्थान द्वारा भरे जाने वाले
	with the proposal. Further, Part-II submitted	Part-I एवं भाग—II में वैकल्पिक वृक्षारोपण
	online and hard copy furnished along with the	चयनित क्षेत्र को उल्लेखित किया गया है।
	proposal varies substantially in their content. CA	भाग—II संलग्न है।
	details have been provide online while Part-II	Annexure- I, II
Ì	submitted along with the proposal mentioned that	
	these requirement will be incorporated at the time	•
	of mining plan and processing of transmission	
	line which implies that underlying documents	
	have not been scrutinized by the DCFs	
	concerned.	
2	Dates on which inspection of the area was	भानुप्रतापपुर (पुत्तरवाही) से पखांजूर
	undertaken by the DCFs concerned has not been	तक 132 के.व्ही.डीसीडीएस विद्युत लाईन हेतु
	indicated in their respective inspection reports.	प्रस्तावित क्षेत्र पूर्व एवं पश्चिम भानुप्रतापपुर
l	Moreover, instead of uploading inspection report	वनमण्डल के वन सीमा से होकर गुजरती है।
	online, the DCFs concerned have uploaded a	अतः स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (प्रपत्र-3) में पश्चिम
	scanned copy of Part-II of Form-A. Further, site	भान्प्रतापपुर वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्थल
	inspections reports of the DCF/CF pertaining to	निरीक्षण रिपोर्ट में तिथि उल्लेख नहीं किया
	the area identified for raising CA may also be	गया है। अतः स्थल निरीक्षण प्रपत्र 3 में
	submitted by the State Government.	दिनांक उल्लेखित कर संलग्न है।
- 96	-Fetter Power 2016 (1)	
*		क्रमश-2
•		·

[		वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का स्थल
1		निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
İ		Annexure- III
3	Certificates regarding location of area proposed	वन मण्डलाधिकारी पश्चिम
	for diversion beyond the eco-sensitive zone of	भानुप्रतापपुर द्वारा व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र
}	PAs have not been submitted by the DCFs	के आस-पास ईको सेनसिटीव क्षेत्र के सबंध में
	concerned. Certificates from the DCF, West	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र-3 में प्रस्तुत किया
	Bhanupratappur, certifying information furnished	गया है। प्रपत्र-3 संलग्न है तथा भाग-2 में
	in respect of Part-II have not been submitted.	आवेदक द्वारा मांगी गई वन भूमि को
		गैरवानिकी प्रयोजन हेतु दिये जाने अनुसंशा
		किया गया है एवं प्रपत्र—III में प्रमाण पत्र
		प्रस्तुत किया गया है।
		9
		Annexure- III प्रस्तावित क्षेत्र नक्सल प्रभावित
4	Exact distance of the proposed alignment from	प्रस्तावित क्षत्र नक्सल प्रमापता संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण भविष्य में होने
	the boundaty of forest land has not been proposed	
	by the User Agency.	वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखकर वन क्षेत्र
	·	में लाईन निर्माण प्रस्तावित किया गया है।
		प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक 17 से 27 तक में नक्शे
		पर वन क्षेत्र की दूरी अंकित की गई है।
5	Examination of the Kml/shape files on DSS, it is	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नारंगी वन
	revealed that out of four patches identified for	भूमि छोटे—बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि
	CA, 3 patches falls in the category of moderately	ओ.ए. पोडावारी 'ए', ओ.ए. डागरा 'बी', ओ.ए.
	dense forest having density above 40% and may	तराईघोटिया 'एफ' तथा ओ.ए. राऊरवाही को
	not be suitable for raising CA. The State	प्रस्तावित किया गया था। उपरोक्त पूर्व में
	Government is therefore required to identify	प्रस्तावित क्षेत्र में से ओ.ए. डांगरा 'बी' को
	alternate sites for raising CA.	छोड़कर शेष क्षेत्र का घनत्व ४० प्रतिशत से
		अधिक होने के कारण पुनः नारंगी क्षेत्र
		साधुघमरे ए, बी, एवं सी को वैकल्पिक
		वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। 10
	·	वर्षिय प्रस्ताव ०२ प्रतियों में एवं
		उपवनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर के स्थल
		निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।
	·	Annexure- IV
	No abstract details of CA area (whether degraded	भाग-2 में वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र
6	forest or non-forest land) have been provided by	को अंकित कर दिया गया है। वैकल्पिक
	the DFO in Part-II. It is noticed invariably that	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र बिगड़े वन भूमि
	inadequate information is submitted by the	छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि है।
	concerned DCFs in Part-II. Instead of referring	जिसका नारंगी इकाई में सर्वेक्षण कर
	the annexure in the proposal, the DCFs,	अधिसूचना प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित
	concerned may be directed to fill at least abstract	
	of information in the Part-II and detailed	
	information may be referred in the Annexure	Annexule v
	submitted along with the proposal. The State	
	Government may take action as appropriate to	
	ensure compliance in this regard.	
7	As per the certificate of District Collector,	जानकारी की प्रति संलग्न है।
'	Kanker towards the settlement of rights issued for	· †
	-97-datin Power 2016:11	क्रमश:–3
अप		

	farmer framer	
	individual village indicating village wise forest	
İ	and revenue forest area total forest area involved	
	in the proposal is 40.874 ha. comprising of 38.34	
	ha. PF/RF area and 2.534 ha. of revenue forest	
	area. The discrepancy in the area proposed for	
	diversion and reported by the District Collector	
	may be re-visited by the State Government exact	
	legal status of the land proposed for diversion	
	may be ascertained. Further, a detail of action	
	taken on settlement of rights in respect of 10	
	rights holders, as reported by the District	
	Collector may also be submitted by the State	
	Government.	
8	Copies of record of consultations meeting of the	जानकारी संलग्न है।
	Sub-Divisional Level Committee, as required	Annexure- VII
	under the provision of clause (a) of Form-I	
	annexed to MoEF&CC's advisory dated	
	5.07.2013 has not been submitted along with the	
	compliance of Scheduled Tribes and Other	
	Traditional Forest Dwellers (Recognition of	
	Forest Rights) Act, 2006.	
9	For want of detailed report on various attributes	जानकारी की प्रति संलग्न है।
)	examined for various alternatives viz forest area,	Annexure- VI
	number of trees, length, feasibility etc. and	
	comments of DCF's conerned thereof, it appears	
	that alignment has been finalized based on single	
	parameter i.e. length in forest area. A report on	
	the same may be submitted by the State	
	Government.	·
10	As per Cost benefit analysis, the CB ratio has	Cost Benifit Analysis की जानकारी
10	been worked out to be 1:2.39 lakhs, which is	संलग्न है।
	exorbitantly high. Parameters to evaluate cost of	
	the project have not been taken into consideration	Annexure- viii
	the project have not been taken into consideration	
	appropreately. CB analysis needs to be re-worked	
	by applying appropriate technoeconomic tools to	
	suitably assess the parameters for assessment of	
	losses and benefits of the project.	जानकारी की प्रति संलग्न है।
11	Details of employment potential in terms of man	
	days of skilled, semiskilled and unskilled persons	
	on permanent (direct and indirect) and temporary	
	(direct and indirect) basis. Also employment	
	potential of the project, during post construction	
	phase, has also not been provided.	

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी किये जाने का कष्ट

करें। संलग्न:- उपरोक्तानुसार **३५ त ऊकार पट्ट २६ | ट (मुदित कुमार सिंह)** अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ) छत्तीसगढ़

क्रमशः--4

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479—115/२/४/

रायपुर, दिनांक 27/08/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **प्रमुख सचिव**, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायंपुर। **संलग्न:**—उपरोक्तानुसार

2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।

3. **वन मंडलाधिकारी**, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल, भानुप्रतापपुर, छत्तीसगढ़।

4. **कार्यपालन यंत्री**, छत्तीसगढ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

वर्तमान में किसी भी प्रकार की वन भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमित नहीं है।

3 दित् 3 गार विष्ट 26 रि अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ) १८ छत्तीसगढ़